AVVNL-Rule-516

AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED

HATHI BHATA, CITY POWER HOUSE, AJMER-305001

No. AVVNL/CAO(R&C)/AAO (Rule)/F-52/OO/D.2899 Dated 12-10-2011

ORDER

Sub:- Procedure for using Nigam's vehicle from residence to office and back.

The Co-ordination Committee, in its 150th meeting held on 15.09.2011, has decided to adopt the State Motor Garage Department, GoR's order No. F.4(6)St. Mo. Ga/2010 dated 28.09.2010 (copy enclosed). Accordingly, the facility of using the Nigam's Vehicle from residence to office and back (one time) can be availed by only those officers to whom vehicles have been allotted / earmarked / hired by the competent authority, as per procedure laid down in GoR's aforesaid order dated 28.09.2010 with an exception to its point No. 4 as follows:-

(i) Officers posted at Corporate Office, Ajmer: Zonal/CE/Circle/SE Level and equivalent offices will be allowed this facility @ Rs. 500/- per month.

(ii) Officers posted in offices other than at (i) above will be allowed this facility @ Rs. 300/- per month.

Note for (i) & (ii) above: Officers using the same vehicle jointly, if avail this facility, will have to pay above amount separately.

(iii) There will be a maximum ceiling of 500 kms/month for all the officers, however, there shall be no such maximum ceiling in case of Chairman and Managing Directors / Managing Directors / Whole Time Directors.

This is in supersession to all earlier decisions taken in this regard from time to time.

By Order,

(M.K. Jain)
Chief Accounts Officer (R&C)
AVVNL, Ajmer

Copy submitted/forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Chief Engineer/Zonal Chief Engineer (   ), AVVNL. ________.
2. The Chief Accounts Officer (ATB/ IA - W&M), AVVNL, Ajmer.
3. The Secretary (Admn.), AVVNL, Ajmer.
4. The Zonal Sr. Accounts Officer (   ), AVVNL, Ajmer/Udaipur/JJN.
5. The Sr. Accounts Officer (   ), AVVNL ________
6. The Superintending Engineer (Civil/Plan/MM/O&M/M&P/TW), AVVNL, Ajmer / Bhilwara/ Nagaur/Udaipur/ Chittorgarh/ Banswara/Rajsamand/ Jhunjhunu/ Sikar/ Dungarpur/ Pratapgarh with the request to circulate this order among division/Sub-division under his control.

R.R No. 974 Dt. 13/10/11
S.E. (IT) A.V.V.N.L., Ajmer

7. The Superintending Engineer (IT) AVVNL Ajmer, with the request to upload it at Nigam's website.
8. The Company Secretary, AVVNL/RRVPNL, Ajmer/ Jaipur.
9. The Addl. Superintendent of Police (Vig.), AVVNL, Ajmer.
10. The TA to Managing Director, AVVNL, Ajmer/ Jaipur.
11. Dy. Director of Personnel (AZ / UZ / JJZ),AVVNL, Ajmer/Udaipur/ Jhunjhunu
12. The Accounts Officer (O&M/IA/EA/Budget/W&M), AVVNL, Ajmer/ Bhilwara/Nagaur/Udaipur/Chittorgarh/Banswara/Rajsamand/Sikar/JJN.
13. The Personnel Officer (Corporate Off./O&M). AVVNL, ____________.
14. The Public Relation Officer, AVVNL, Ajmer.
15. The P.A. To Managing Director, AVVNL, Ajmer/Jaipur.
16. The P.A. To Director (Technical), AVVNL, Ajmer.

Chief Accounts Officer (R&C)

राजस्थान सरकार
स्टेट मोटर गैराज विभाग

क्रमांक : प. 4(6)स्टे.मो.गै./2010 जयपुर,दिनांक 28 सितम्बर,20..

आदेश

विषयः–राजकीय कार्य हेतु निवास से कार्यालय आने–जाने की वाहन सुविधा उपलब्ध कराने की प्रकिया में विस्तार व सरलीकरण ।

विषयान्तर्गत इस विभाग के आदेश क्रमांक प4(6)स्टे.मो.गै./2003 दिनांक 20.1.2004 द्वारा चिन्हित वाहन के उपयोग हेतु अधिकृत पात्र अधिकारियों को राजकीय वाहन से निवास से कार्यालय आने–जाने की सुविधा रूपये 300/–प्रतिमाह के भुगतान पर प्रदान की गई है। राज्य सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि ऐसे अधिकारियों जिनको राजकीय वाहन अथवा किराये का वाहन आवंटित है को भी निर्धारित राशि के भुगतान पर ऐसे वाहनों का उपयोग निवास से कार्यालय आने–जाने की सुविधा प्रदान की जाये। तदनुसार निम्नांकित प्रकिया निर्धारित की जाती है :–

1. सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजकीय कार्य हेतु जिन अधिकारियों को राजकीय वाहन/अनुबन्धित किराया वाहन/पूल वाहन आवंटित है,उन अधिकारियों द्वारा ऐसे वाहन का उपयोग निवास से कार्यालय आने–जाने हेतु किया जा सकेगा।
2. मोटर गैराज अथवा विभागीय पूल से आवंटित वाहनों से निवास से कार्यालय आने–जाने की सुविधा भी सक्षम/अधिकृत अधिकारी उपयोग कर सकते हैं ।
3. विभागों में किराये पर लिए जाने वाले अनुबन्धित वाहनों का उपयोग करने वाले अधिकारी भी निवास से कार्यालय आने–जाने की सुविधा हेतु अधिकृत हैं।
4. वाहन के उपयोग करने वाले अधिकारी को निवास से कार्यालय आने–जाने हेतु संभागीय मुख्यालय (जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा भरतपुर) हेतु रूपये 500/–प्रतिमाह तथा अन्य स्थानों हेतु रूपये 300/– प्रतिमाह की दर पर उक्त सुविधा प्रदान की जावेगी । वाहनों के संयुक्त रूप से उपयोग करने वाले अधिकृत अधिकारी यदि उक्त सुविधा लेते हैं तो प्रत्येक अधिकारी अलग अलग निजी रूप से उक्त भुगतान देंगे।
5. जिस अधिकारी को राजकीय/पूल/किराये का वाहन आवन्टित है,उससे उक्त दरों पर राशि की कटौती अनिवार्य रूप से की जावे।
6. उक्त सुविधा प्रदान किये जाने के फलस्वरूप विभागों को POL मद या वाहन किराये के मद में अतिरिक्त बजट प्रावधान उपलब्ध नही कराया जाऐगा । अतः विभाग वाहनों का उपयोग मितव्ययतापूर्वक करें।
7. नियंत्रण अधिकारी वाहनों की स्वीकृत संख्या के आधार पर उनके निवास से कार्यालय आने–जाने के प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए वेतन बिलो से निर्धारित कटौती के आदेश जारी करेंगे।

उक्त आदेश वित्त विभाग के आई.डी.क्रमांक 261000138 /FD दिनांक 20.9.2010 की सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं तथा यह तुरन्त प्रभाव से प्रभावी होंगे ।

(किरण सोनी गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

पृ.पृ.उ.